



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09062026-273264
CG-DL-E-09062026-273264

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2853]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 9, 2026/ज्येष्ठ 19, 1948

No. 2853]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 9, 2026/JYAISTHA 19, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2026

का.आ. 2947(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.471(अ) दिनांक 29/01/2026, जो भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 02/02/2026 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में JTN#10 से जोटाणा जीजीएस तक मौजूदा आर ओ यु से जोड़ने के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा, गुजरात राज्य के रानीपुर, मोदीपुर और जोटाणा गाँव, तहसील—जोटाणा एवं जिला - मेहसाणा में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 10/02/2026 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है; और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

पाइप लाइन फॉर ड्रिल साइट JTN#10 से जोटाणा जीजीएस तक मौजूदा आर ओ यु से जोड़ने के लिए

तालुका:- जोटाणा

जिला:- मेहसाणा

राज्य:- गुजरात

गाँव का नाम	सर्वे / ब्लोक नं.	भाग यदि कोई हो	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	सेन्टीआर
1	2	3	4		
1	रानीपुर	76	00	12	00
2	मोदीपुर	38	00	03	50
3		39	00	10	40
4		80	00	06	50
5		104	00	08	40
6		536	00	01	00
7	जोटाणा	527	00	16	30
8		526	00	05	90
9		525	00	11	40
10		524	00	07	70
11		522	00	10	00
12		521	00	09	85
13		520	00	06	70
14		517	00	08	50
15		452	00	03	75
16		455	00	18	70
17		456	00	17	20
18		457	00	11	50
19		445	00	11	00
20		444	00	08	45
21		435	00	08	90

22		436		00	09	85
23		437		00	13	60
24		438		00	01	00
25		432		00	08	35
26		249		00	04	15
27		242		00	35	85
28		241		00	07	40
29		239		00	13	50
30		238		00	10	80
31		237		00	09	65
32		235		00	14	55
33		234		00	15	50
34		232		00	14	10
35		198		00	26	70
36		230		00	91	35
37		219		00	01	00
38		218		00	23	85
39		215		00	09	25
40		213		00	02	20
41	जोटाणा	105		00	19	15
42		106		00	09	50
43		107		00	04	90
44		108		00	04	60
45		109		00	00	15
46		1469		00	02	65
47		162		00	19	30
48		112		00	04	50
49		142		00	23	30
50		144		00	09	05
51		145		00	09	25
52		146		00	09	25
53		137		00	06	90
				कुल क्षेत्रफल	06-32-80	

[फा. सं. इएक्सपीएल-13011(26)/2/2026-इएक्सपीएल-पीएनजी (ई-55097)]

रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th June, 2026

S.O. 2947(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 471(E) Dated 29/01/2026 issued under Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra-ordinary Gazette of India dated 02/02/2026, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Pipeline For Drill Site JTN#10 TO JOTANA GGS, TO INTERCONNECT WITH EXISTING ROU in RANIPUR, MODIPUR & JOTANA Villages, Taluka Jotana and District Mehsana in the State of Gujarat to be laid by Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

And whereas copies of the said Extra-ordinary Gazette notification were made available to the public up to dated: 10/02/2026.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation Ltd. free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Ltd., shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE**PIPE LINE FOR DRILL SITE JTN#10 TO JOTANA GGS TO INTERCONNECT WITH EXISTING ROU****TALUKA: - JOTANA****DISTRICT: - MEHSANA****STATE: - GUJARAT**

Name of village	Survey No./Block No.	Part if any	Area		
			Hq.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4		
1	Ranipur	76	00	12	00
2	Modipur	38	00	03	50
3		39	00	10	40
4		80	00	06	50
5		104	00	08	40
6		536	00	01	00
7	Jotana	527	00	16	30
8		526	00	05	90
9		525	00	11	40
10		524	00	07	70
11		522	00	10	00
12		521	00	09	85
13		520	00	06	70
14		517	00	08	50
15		452	00	03	75
16		455	00	18	70
17		456	00	17	20
18		457	00	11	50
19		445	00	11	00
20		444	00	08	45

21		435		00	08	90
22		436		00	09	85
23		437		00	13	60
24		438		00	01	00
25		432		00	08	35
26		249		00	04	15
27		242		00	35	85
28		241		00	07	40
29		239		00	13	50
30		238		00	10	80
31		237		00	09	65
32		235		00	14	55
33		234		00	15	50
34		232		00	14	10
35		198		00	26	70
36		230		00	91	35
37		219		00	01	00
38		218		00	23	85
39		215		00	09	25
40		213		00	02	20
41		105		00	19	15
42		106		00	09	50
43		107		00	04	90
44		108		00	04	60
45		109		00	00	15
46	Jotana	1469		00	02	65
47		162		00	19	30
48		112		00	04	50
49		142		00	23	30
50		144		00	09	05
51		145		00	09	25
52		146		00	09	25
53		137		00	06	90
				Total Area	06-32-80	

[F. No. Expl-13011(26)/2/2026-EXPL-PNG (E-55097)]

REGHURAM KRISHNA, Under Secy.